दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारी

5942. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारियों के बारे में 12 दिसम्बर 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3701 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है,

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) दिल्ली, प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना पूरी नहीं थी इसलिये उनसे पूरी सूचना शीघ्रातिशीघ्र भेजने के लिये प्रार्थना की गई है ।

दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में पदोन्नतियां

5943. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित कोटे में पदोन्नतियों के बारे में 6 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1931 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के शिक्षा विभाग के दिनांक 4 नवम्बर, 1969 के आदेश संख्या एफ० II–19 (44) एडम 2/69 और दिनांक 22 जनवरी, 1970 के आदेश संख्या ई० डी०/ए–2 (कोआर्ड)/70 द्वारा विभिन्न स्कूलों को आरक्षित कोटे में पदोन्नतियों के मामले में अनुसूचित जातियों से संबंधित अध्यापकों के हितों की रक्षा करने के लिये की गई कार्यवाही का तुरन्त तथा अवश्यमेव व्योरा देने के लिये कहा गया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक विषय के बारे में क्या ब्योरा प्राप्त हुआ है और ऐसे कितने अध्यापकों को विषयवार पदोन्नतियां दी गई हैं; और

(ग) यदि कोई पदोन्नतियां नहीं दी गई हैं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना सम्बधिंत अधिकारियों से एकत्रित की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सरकारी कार्यालयों में हिन्दी कार्य

5944. **श्री श्रीगोपाल साबू** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** सरकारी कार्यालयों में हिन्दी कार्य के बारे में 13 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2945 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शव्दावली आयोग, राजभाषा (विधायी) आयोग, विधि (पत्रिका) रेलवे, डाक व तार विभाग तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों, लोक निर्माण विभाग हिन्दी कार्य के लिये नियुक्त किये गये कर्मचारियों की संख्या पदनाम, और वेतन मान क्या हैं ;

(ख) उनमें से किस किस कार्यालय में हिन्दी कार्य के लिये संयुक्त/उप/अवर सचिव स्तर के पद बनाये गये हैं और जिन कार्यालयों में ऐसे पद नहीं हैं उनमें ये पद न बनाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार हिन्दी के प्रयोग के बारे में सभी आदेशों को संक्षिप्त व्यौरे सहित सभा पटल पर रखेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या-चरण शुक्ल) : (क) हिन्दी अनुवाद-कार्य के लिये स्वीकृत पदों के संबंध में सूचना का विवरण सभा पटल पर रखा गया है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या LT-3-162/70**]

(ख) इस स्तर के पद रेल मंत्रालय, डाक व तार विभाग; केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय; वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग; राजभाषा (विधायी) आयोग तथा विधि पत्रिका स्कंध में हैं। किसी संगठन में किये जाने वाले कार्य के प्रकार तथा उस संगठन में विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित ड्यूटियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्तरों के पदों का निर्माण किया जाता है।

(ग) हिन्दी के प्रयोग के संबंध में सरकारी आदेशों का संक्षिप्त ब्योरा गृह मंत्रालय की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट और 1968–69 वर्ष के लिये हिन्दी के प्रसार तथा विकास और संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिये उसके प्रगामी प्रयोग में गति लाने के लिये बनाये गये कार्यक्रम विषयक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में दिया गया है जो सभा पटल पर पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी हैं।

Development Work at Tuticorin Deep Sea Harbour

5945. SHRI P. C. ADICHAN: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the development work at Tuticorin Deep Sea Harbour is proceeding as per schedule and if not, the extent of the delay;

(b) the progress made so far on this project and the total amount spent thereon; and

(c) by what time it is likely to be completed?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI IQBAL SINGH): (a) to (c). The work on the Tuticorin Harbour Project is progressing on the basis of allocations made from year to year for the Project. In the revised estimates 1969-70 and budget estimates 1970-71 a provision of Rs. 300 lakhs and Rs. 425 lakhs respectively has been made. The progress of work is as under:

I. All the shore works are almost complete.

II. Off-shore works.

(i) North Breakwater

Of the total length of 4,142 m., work has been completed for a length of 1,515 m. The work on the reach from L.S. (Length from Shore) 1,515 m. to L.S. 1,775 m. is in progress.

(ii) South Breakwater:

Of the total length of 3,797 m., work has been completed for a length of 1,451 m. The work on the reach from L.S 1,451 m. to L.S. 1,830 m. is in progress.

(iii) Approach Arm:

Work has been completed for a length of 735 m.

Tenders for the remaining off-shore works are under scrutiny.

A gross expenditure of Rs. 1,161 lakhs has been incurred on the Project upto February, 1970 since its inception. The net expenditure comes to Rs. 810 lakhs.

Round Meters for Scooters and Taxis in Delhi

5946. SHRI D.N. PATODIA: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the scooter and taxi drivers strike in Delhi was called off on an assurance that round meters will be used instead of the type used in taxis;

(b) if so, the reason for the climb down by the authorities; and

(c) how the passengers' difficulties arising therefrom is going to be met?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI IQBAL SINGH): (a) No.

(b) and (c). Do not arise.